किस्म मुकदमा दावा नं. 64 सन् 21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
15/7/21	दावा दफ्तर से वाद जौलपेश हुआ। प्रकरण में कोबिलिट पेश हुई है। इसलिए कोबिलिट प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान कर कुलनाम नाम से आदि न्यायालय आदेश नकल उन्हें दी गयी। पत्रावली वादी, प्रवाद एवं तामील प्रतिवादीगण दिनांक 19-7-2021 को पेश हो।	Copy Rem 15/7/21
19/7/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण एवं कोबिलिट प्रस्तुत कर कि वकील आदि इनके फोर प्रकरण में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र O1R10 CPC पेश किया नकल दी गयी। पत्रावली वादी, प्रवाद एवं दफ्तर प्रार्थना पत्र दिनांक 02/8/21 को पेश हो।	
2/8/21	वकील वादीगण आदि, वादीगण के फोर श्री [illegible] ने दिनांक 30-7-21 को अन्तरिम स्थगन [illegible] किया एवं अब विड्रा करने एवं खारिज करने के प्रार्थना पत्र श्री पेश किया है, वकील वादीगण एवं कोबिलिट प्रस्तुत कर्ता वकील ने अब विड्रा करने एवं खारिज करने पर सहमति व्यक्त की। अतः अब वादी इसे हेतु पर वादीगण को प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली कमल सुमन [illegible] दर्ज हो। इकरार सुनाया गया।	Not press 2/8 No objection

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)